

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 25)

उपरवर्त अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)  
 जसवन्त सिंह बनाम लाली देवी  
 दावा नं० 115 सन् 25-5-2017

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुक्म की तामिल  
 में जारी हुए

25/5/17 आज मट पत्रावली न्याय आपसे  
 द्वारा अल्प सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत नोनवापस  
 पत्र की गई। वादी के वकील उपस्थित है।  
 दावा दर्ज किया जावे। प्रतिवादी गज द्वारा समन  
 तलब मट पत्रावली दि० 14/6/17 को पेश की  
 जावे।

उप सज्जद अधिकारी  
 नीमराना (अलवर)

14/6/17 पत्रावली पेश की गई (प्रतिवादी गज 4-4-17  
 7-9 की ओर ले श्री विजयकुमार यादव के  
 ने वकालतगण पेश किया। पेश प्रतिवादी गज  
 द्वारा समन तलब का दि० 10-8-17 को पेश  
 हो वादी समन तलबना पेश करे।

उप सज्जद अधिकारी  
 नीमराना (अलवर) राज

2012 आज मट पत्रावली पेश हुई। प्रतीक  
 17 पेश की गई। दि० 19-4-18 को समन वास्तु है।  
 पत्रावली पेश की गई। दि० 19-4-18 को प्रतिवादी गज द्वारा  
 दिनांक 19-4-18 को पेश हो वकालतगण

पेश किया जाणा  
 उप सज्जद अधिकारी  
 नीमराना (अलवर)

19/4 आज पत्रावली पेश हुई। अनिमापक संप ने  
 कार्य स्थगित कर दिया है। पक्षकारान्-----  
 पत्रावली दि० 30-4-18 को पेश हो।

उप सज्जद अधिकारी, नीमराना

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए।

17-10-23 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सघ नीमराना द्वारा कार्य  
स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व  
अभिलेखानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 2-11-23  
को पेश हो।  
U  
रीडर

2-11-23 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सघ नीमराना द्वारा कार्य  
स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व  
भादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16-11-23  
को पेश हो।  
U  
रीडर

16-11-23 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सघ नीमराना द्वारा कार्य  
स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व  
भादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18-11-24  
को पेश हो।  
U  
रीडर

18-1-24 आज पत्रावली पेश हुई। कम्प्लेंट व फरीफोन  
द्वारा श्री अशोक अग्रिम अधिकारी उ. ल. को  
विनियमन पत्र पधार है। पत्रावली उनके  
समक्ष दिनांक 13-3-24 को पेश हो।  
U  
रीडर

13-3-24 आज यह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता  
कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को  
बार-बार आवाज दिलवायी गई। किन्तु वादी एवं उनके  
अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हाजरी  
एवं अदम पैरवी बखूबी साबित होती है। अतः यह आदेश  
प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण  
स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर  
उपरोक्त लेख भण्डार अलवर जमा करवाई जावे।

उपस्थण्ड अधिकारी  
नीमराना (कोटपतली-बहरोड़)